"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 अप्रैल 2009—चैत्र 25, शक 1931

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2009

क्रमांक 01/चार/लो. स. चु./2009/1990.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्रों के संबंध में आदेश संख्या 3/4/आई. डी./2009/एस. डी. आर., दिनांक 11 अप्रैल, 2009 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल, 2009

आदेश

सं. 3/4/आई. डी./2009/एस. डी. आर.—आयोग के दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के आदेश सं. 3/4/आई. डी./2009/एस. डी. आर. के अनुक्रम में, आयोग यह निदेश देता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन में निर्वाचकों की पहचान स्थापित करने के लिए "28-2-2009 को या उससे पहले जारी किए गए फोटोयुक्त भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका" को भी अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में अनुमति दी जाएगी.

2. उपर्युक्त दस्तावेज, आयोग के दिनांक 6 अप्रैल, 2009 के आदेश के पैरा 9 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों के अतिरिक्त होंगे.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एफ. विल्फ्रेड)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.